प्रेषक,

श्रम आयुक्त/मुख्य कारखाना निरीक्षक, उत्तराखण्ड,
श्रम भवन, हल्द्वानी।

सेवा,

1– अध्यक्ष, सिडकुल इण्टरप्रियोन्योर वेलफेयर सोसाईटी,
प्लाट नं0–1,सेक्टर–9 आईआईई, सिडकुल पन्तनगर।
2– अध्यक्ष, सितारगंज सिडकुल इण्डस्ट्रीज वैलफेयर एशोसिएसन,
द्वारा मै0–गुजरात अम्बुजा एक्सपोर्ट लि0,सी–50एल्डिको, सिडकुल सितारगंज।
3– अध्यक्ष, कुमायूँ गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, उत्तराखण्ड,
चैम्बर हाऊस इण्डस्ट्रीयल स्टेट बाजपुर रोड काशीपुर।
4– अध्यक्ष, इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन,उत्तराखण्ड,मोहब्बेवाला,
इण्ड0 एरिया, देहरादून।
5– अध्यक्ष, सिडकुल मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन, हरिद्वार, एस0एम0ए0यू0
कांफ्रेन्स हाल, पंचम तल, पेंटागन माल, सिडकुल हरिद्वार।

पत्र सं0 604-8 एफ/महि0कर्म0छू0/2025 दिनांकः 14,7/2025.

विषयः **कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत विभिन्न कारखानों में कार्यरत महिला कर्मकारों को रात्रि पाली में कार्य करने की छूट प्रदान करने के संबंध में ।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के पत्र दिनांक 21 अप्रैल, 2025 के कम में ईज ऑफ डूईग विजनेस के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में प्रचलित अधिनियमों के शिथलीकरण हेतु गठित टॉस्क फोर्स की बैठक दिनांकः 01 मई 2025 को मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड महोदय की अध्यक्षता में आहूत की गई, जिसमें कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत कारखानों में कार्यरत महिला कर्मकारों को रात्रि पाली में कार्य करने की छूट प्रदान करने संबंधी अधिसूचना सं0 138/VIII-1/23-91(श्रम)/2008, दिनांकः 18.07.2023 की कतिपय शर्तों का शिथलीकरण करते हुए संशोधन की अपेक्षा की गई है।

उक्त संबंध में आप अपने मंतव्य एवं सुझाव पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

14/07/2025

(प्रकाश चन्द्र दुम्का)
श्रम आयुक्त/मुख्य कारखाना निरीक्षक उत्तराखण्ड,
श्रम भवन नैनीताल रोड, हल्द्वानी।